NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 13-11-2026

विषय सूची

एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड

इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी संहिता (IBC), 2016 के अंतर्गत व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी

नीति आयोग द्वारा "उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के प्रभाव का आकलन" संबंधी रिपोर्ट जारी

वैश्विक कार्बन बजट, 2026

संक्षिप्त समाचार

- कुरुम्बा जनजाति
- छठ पूजा
- भारत में तपेदिक (TB) से होने वाली मृत्यु दर में गिरावट
- पादप किस्मों एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) का 22वाँ स्थापना दिवस
- भारत में खुदरा मुद्रास्फीति RBI की निर्धारित सीमा से अधिक
- भारतीय ब्रैम्बल शार्क
- रैटलपॉड

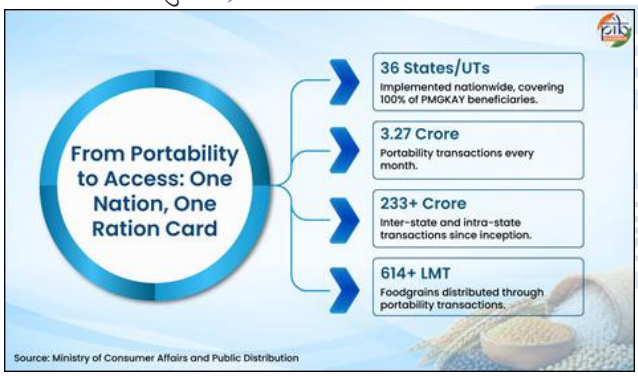
एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड

संदर्भ

- एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) योजना को सभी 36 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के 100% लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

परिचय

- एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) योजना का शुभारंभ वर्ष 2019 में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया गया था।
- यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में एक प्रमुख सुधार है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आने वाले राशन कार्डधारकों एवं लाभार्थियों को देशभर में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी (अंतःराज्यीय एवं अंतरराज्यीय उपयोग की सुविधा) प्रदान की जाती है।



राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का उद्देश्य वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के 75% तथा शहरी जनसंख्या के 50% तक की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसके अंतर्गत लगभग 81.35 करोड़ व्यक्ति शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से किफायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- पात्र परिवारों को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है:
 - **अंत्योदय अन्न योजना** (AAY) **के परिवार**: इस श्रेणी में समाज के सबसे गरीब परिवारों को शामिल किया जाता है।
 - अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है।
 - **प्राथमिकता प्राप्त परिवार** (PHH): इस श्रेणी के प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
- इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा खाद्यान्न के निर्गम मूल्य अत्यधिक रियायती निर्धारित किए गए थे:
 - चावल – ₹3 प्रति किलोग्राम।
 - गेहूँ – ₹2 प्रति किलोग्राम।
 - मोटे अनाज – ₹1 प्रति किलोग्राम।
- इसके अतिरिक्त, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कम-से-कम ₹6,000 का नकद मातृत्व लाभ प्रदान करने का प्रावधान है।

लाभार्थी कौन हैं?

- **अंत्योदय अन्न योजना** (AAY) **के परिवार**: इन परिवारों का चयन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इसमें समाज के अत्यंत गरीब एवं वंचित परिवारों को शामिल किया जाता है।
- **पात्र श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं**:
 - विधवा, गंभीर रूप से बीमार, दिव्यांग अथवा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे व्यक्तियों के नेतृत्व वाले परिवार, जिनके पास आजीविका का कोई सुनिश्चित साधन अथवा सामाजिक सहायता उपलब्ध नहीं है।
 - विधवाएँ, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, अकेली महिलाएँ अथवा अकेले पुरुष, जिनके पास परिवार या समाज का कोई सहयोग तथा आजीविका का सुनिश्चित साधन उपलब्ध नहीं है।
 - सभी आदिम जनजातीय परिवार।
 - भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर एवं शिल्पकार, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवार तथा असंगठित क्षेत्र में दैनिक आजीविका अर्जित करने वाले व्यक्ति एवं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अन्य समान श्रेणियों के परिवार।
 - HIV से संक्रमित व्यक्तियों के सभी पात्र गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवार।
- **प्राथमिकता प्राप्त परिवार** (PHH): इन परिवारों का चयन राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा अपने निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के साथ विलय

- कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020 में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया गया।
- जनवरी 2023 से सरकार ने PMGKAY का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के साथ विलय कर दिया तथा NFSA के अंतर्गत मिलने वाले नियमित खाद्यान्न को भी निःशुल्क कर दिया।
- वर्ष 2023 में इस निःशुल्क खाद्यान्न योजना को पाँच वर्षों अर्थात जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक विस्तारित किया गया।

भारत का खाद्य सुरक्षा ढाँचा

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम** (NFSA), 2013: यह ग्रामीण जनसंख्या के 75% तथा शहरी जनसंख्या के 50% तक को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत लगभग 81 करोड़ लोग शामिल हैं।
- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना** (PMGKAY): वर्ष 2024 से पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इस व्यवस्था को वर्ष 2028 तक विस्तारित किया गया है।
- **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली** (TPDS):यह पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न के वितरण को सुनिश्चित करने में सहायता करती है।
- **डिजिटलीकरण** : डिजिटलीकृत राशन कार्ड एवं आधार सीडिंग के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान को अधिक प्रभावी बनाया जाता है तथा खाद्यान्न के रिसाव एवं अनियमितताओं को कम करने में सहायता मिलती है।
- **एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड** (ONORC): यह पात्र लाभार्थियों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों को देशभर की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने खाद्यान्न का निर्धारित कोटा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **मध्याह्न भोजन कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, विद्यालयों में ठहराव एवं उपस्थिति को बढ़ावा देना है।
 - इसके साथ ही बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है।
- **खाद्य फोर्टिफिकेशन** : सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल, गेहूँ का आटा तथा खाद्य तेलों को बढ़ावा देती है।
 - खाद्य सुदृढ़ीकरण के माध्यम से खाद्य पदार्थों में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की मात्रा बढ़ाई जाती है।
- **पोषण ट्रैकर** : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण ट्रैकर नामक ICT (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) एप्लिकेशन विकसित किया गया है, जो शासन एवं निगरानी के एक प्रमुख उपकरण के रूप में कार्य करता है।
 - इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की विस्तारित सारणियों तथा आयु-दिवस आधारित Z-स्कोर का उपयोग किया जाता है।
 - इसके माध्यम से बच्चों की लंबाई, वजन, लिंग एवं आयु के आधार पर उनकी वृद्धि का गतिशील आकलन किया जाता है तथा बौनापन , दुबलापन , कम वजन एवं मोटापे की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है।
- **सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण** 2.0: इस कार्यक्रम में पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएँ तथा किशोरियों के लिए योजना जैसी प्रमुख योजनाएँ शामिल हैं।
 - इन योजनाओं का उद्देश्य देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए लक्षित एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सुनिश्चित करना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत पारदर्शिता एवं वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

- 100% **डिजिटलीकरण** : अक्टूबर 2026 तक सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में राशन कार्ड तथा लाभार्थियों के डेटाबेस का 100% डिजिटलीकरण किया जा चुका है।
 - इसके अंतर्गत लगभग 78.65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।
 - यह जानकारी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के सार्वजनिक पारदर्शिता पोर्टलों पर उपलब्ध है।
- **ई-केवाईसी**: वर्ष 2026 में 71.52 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी की गई, जो कुल लाभार्थियों का लगभग 91% है।
- **पारदर्शी शिकायत निवारण व्यवस्था** : सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में पारदर्शिता पोर्टल, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली तथा टोल-फ्री हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं।
- **कम्प्यूटरीकृत आपूर्ति श्रृंखला** : देशभर में खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन लागू किया गया है।
 - इसके अतिरिक्त, 31 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।

- **लाभार्थियों का उचित लक्षित चयन एवं दोहराव की पहचान**: आधार एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के आँकड़ों के उन्नत विश्लेषण के माध्यम से 5.95 करोड़ संदिग्ध रिकॉर्ड की पहचान की गई।
 - इसके परिणामस्वरूप 2.58 करोड़ दोहराव वाली अथवा अपात्र प्रविष्टियों को हटाया गया, जिससे वास्तविक एवं पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करने में सहायता मिली।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण एवं सुधार योजना** (SMART-PDS): SARTHAK-PDS के अंतर्गत SMART-PDS के माध्यम से राशन कार्ड, खाद्यान्न वितरण, आपूर्ति श्रृंखला तथा शिकायत निवारण व्यवस्था को डिजिटल रूप से एकीकृत किया जाता है।
 - इसके अतिरिक्त, यह एकीकृत केंद्रीय प्रणाली के माध्यम से राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में प्रौद्योगिकी से संबंधित कमियों को दूर करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता, पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है।

स्रोत: DD

इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी संहिता (IBC), 2016 के अंतर्गत व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी

संदर्भ

- वीडियोकॉन के पूर्व प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) द्वारा व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर दिवालिया घोषित किया गया है। यह मामला वीडियोकॉन समूह की कंपनियों द्वारा लिए गए ₹12,668 करोड़ के ऋण से संबंधित है, जिसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की थी।

परिचय

- **इन्सॉल्वेंसी** : यह किसी व्यक्ति अथवा कंपनी की ऐसी वित्तीय स्थिति है, जिसमें वह देय तिथियों पर अपने ऋणों एवं वित्तीय दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ होती है।
- **बैंकरप्सी** : यह एक औपचारिक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत दिवालिया व्यक्ति को विधिक रूप से दिवालिया घोषित किया जाता है तथा बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु उसकी परिसंपत्तियों को लेनदारों के बीच वितरित किया जा सकता है।
- इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी संहिता (IBC), 2016 इन्सॉल्वेंसी समाधान के लिए समयबद्ध व्यवस्था प्रदान करती है तथा परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने पर बल देती है।
 - कॉरपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों से संबंधित इन्सॉल्वेंसी समाधान एवं बैंकरप्सी के प्रावधान दिसंबर 2019 में लागू किए गए थे।

IBC के अंतर्गत इन्सॉल्वेंसी की श्रेणियाँ

- **कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी**: यह कंपनियों तथा सीमित दायित्व भागीदारी (LLPs) पर लागू होता है।
 - जब कोई कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में चूक करती है, तब वित्तीय अथवा परिचालन लेनदार राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के समक्ष कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया (CIRP) प्रारंभ करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 - इसका उद्देश्य तत्काल परिसमापन करने के बजाय समाधान योजना के माध्यम से कंपनी की वित्तीय समस्याओं का समाधान करना है।
 - यदि समाधान प्रक्रिया असफल हो जाती है, तो कंपनी का परिसमापन किया जा सकता है तथा लेनदारों के ऋणों का पुनर्भुगतान करने के लिए उसकी परिसंपत्तियों को बेचा जा सकता है।
- **व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी**: व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी उन व्यक्तियों एवं साझेदारी फर्मों से संबंधित है, जो अपने ऋणों का पुनर्भुगतान करने में असमर्थ हैं।
- IBC के अंतर्गत इसे व्यापक रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
 - **कॉरपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटर**: ऐसे व्यक्ति, सामान्यतः प्रमोटर अथवा निदेशक, जो किसी कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों के लिए व्यक्तिगत गारंटी प्रदान करते हैं।
 - यदि कंपनी ऋण चुकाने में चूक करती है, तो ऋणदाता संबंधित गारंटर के विरुद्ध इन्सॉल्वेंसी कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं।
 - कॉरपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों से संबंधित इन्सॉल्वेंसी कार्यवाही का निपटारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) द्वारा किया जाता है।
 - **अन्य व्यक्ति एवं साझेदारी फर्म**: इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो अपने व्यक्तिगत ऋणों का पुनर्भुगतान करने में असमर्थ हैं तथा ऐसी साझेदारी फर्में शामिल हैं, जो अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हैं।
 - अन्य व्यक्तियों एवं साझेदारी फर्मों से संबंधित कार्यवाही का निपटारा ऋण वसूली अधिकरण (DRT) द्वारा किया जाता है।

गारंटर की व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया

- **कार्यवाही की शुरुआत** : लेनदार IBC की धारा 95 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं, जबकि गारंटर धारा 94 के अंतर्गत स्वेच्छा से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
 - NCLT आवेदन की जाँच करने, ऋण का सत्यापन करने तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समाधान पेशेवर नियुक्त करता है।
- **पुनर्भुगतान योजना**: गारंटर एक पुनर्भुगतान योजना प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें यह बताया जाता है कि बकाया ऋण का पुनर्भुगतान किस प्रकार किया जाएगा।
 - लेनदार इस योजना पर विचार करते हैं तथा इसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकते हैं।
- यदि पुनर्भुगतान योजना असफल हो जाती है अथवा अस्वीकृत कर दी जाती है, तो IBC की धारा 121 के अंतर्गत बैंकरप्सी की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।
- एक बैंकरप्सी न्यासी निर्धारित प्राथमिकता क्रम के अनुसार लेनदारों को भुगतान करने के उद्देश्य से गारंटर की परिसंपत्तियों का प्रबंधन एवं उनका मुद्रीकरण करता है।

इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी संहिता (IBC), 2016

- भारत में बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) तथा ऋण वसूली की अप्रभावी व्यवस्थाओं की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी संहिता (IBC) लागू की गई थी।
- IBC के अंतर्गत इन्सॉल्वेंसी समाधान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
 - **व्यवसाय का पुनरुद्धार** : पुनर्गठन, स्वामित्व में परिवर्तन अथवा विलय के माध्यम से व्यवसायों को पुनर्जीवित करना तथा उन्हें परिसमापन से बचाना।
 - **परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण** :देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य को संरक्षित करना तथा उसे अधिकतम स्तर तक बढ़ाना।
 - **उद्यमिता एवं ऋण उपलब्धता को बढ़ावा देना**: उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, ऋण की उपलब्धता में सुधार करना तथा लेनदारों एवं देनदारों सहित सभी हितधारकों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करना।
- वर्तमान में इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार की गई किसी कंपनी के समाधान हेतु अधिकतम 330 दिनों की समय-सीमा निर्धारित है।
 - यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान नहीं हो पाता है, तो कंपनी का परिसमापन किया जाता है।

संस्थागत ढाँचा

- **भारतीय इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी बोर्ड** (IBBI): यह एक शीर्ष नियामक संस्था है, जिसकी स्थापना इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों, इन्सॉल्वेंसी पेशेवर एजेंसियों तथा सूचना उपयोगिताओं के कार्यों की निगरानी एवं विनियमन के लिए की गई है।
- **राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण** (NCLT): यह एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण है, जो कंपनियों एवं सीमित दायित्व भागीदारी (LLPs) से संबंधित इन्सॉल्वेंसी आवेदनों पर विचार करता है।
 - यह स्थगन आदेश लागू करता है तथा समाधान योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है।
- **इन्सॉल्वेंसी पेशेवर** (IPs): इन्सॉल्वेंसी पेशेवर वे व्यक्ति होते हैं, जो वित्तीय संकट से जूझ रही संस्थाओं के मामलों का प्रबंधन करते हैं।
 - वे परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं तथा लेनदारों की बैठकों का आयोजन करते हैं।
- **लेनदारों की समिति** (CoC): यह निर्णय लेने वाली सर्वोच्च समिति होती है, जिसमें वित्तीय संकट का सामना कर रही संस्था के वित्तीय लेनदार शामिल होते हैं।
 - यह समिति प्रस्तुत समाधान योजना की जाँच करती है, उस पर मतदान करती है तथा उसे स्वीकृति प्रदान करती है।

स्रोत: IE

नीति आयोग द्वारा "उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के प्रभाव का आकलन" संबंधी रिपोर्ट जारी

संदर्भ

- नीति आयोग ने "**उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन** (PLI) **योजनाओं के प्रभाव का आकलन**" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 14 क्षेत्रों में लागू उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है।

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के बारे में

- उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई एक सरकारी पहल है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य पात्र कंपनियों को उनकी वृद्धिशील बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके भारत की विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना है।

- प्रारंभ में इस योजना को तीन क्षेत्रों के लिए लक्षित किया गया था, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार करके 14 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है।



नीति आयोग की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **निवेश** : PLI योजनाओं के अंतर्गत ₹2.4 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया गया, जो निर्धारित कुल लक्ष्य का 76% है।
- **उत्पादन एवं बिक्री** : इन योजनाओं के माध्यम से संचयी रूप से ₹22.66 लाख करोड़ का उत्पादन एवं बिक्री दर्ज की गई, जो निर्धारित लक्ष्य का 64% है।
- **रोजगार** : मार्च 2026 तक 8.49 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन किया गया, जो 30.18 लाख रोजगार के निर्धारित लक्ष्य का केवल 28% है।
- **कार्यान्वयन अवधि** : इन योजनाओं की संयुक्त कार्यान्वयन अवधि का 58% हिस्सा पूरा हो चुका है, जबकि 42% अवधि शेष है।
- **क्षेत्रवार प्रगति** : लक्षित क्षेत्रों के लगभग 70% खंडों की प्रगति व्यापक रूप से निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप रही है।

PLI योजनाओं का महत्त्व

- **घरेलू मूल्य संवर्धन में वृद्धि**: व्हाइट गुड्स PLI योजना के अंतर्गत घरेलू मूल्य संवर्धन का स्तर 20% से बढ़कर 55% हो गया है।
 - यह घटकों के स्थानीयकरण तथा प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान के हस्तांतरण में वृद्धि को दर्शाता है।
- **चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा**: चिकित्सा उपकरण PLI योजना के अंतर्गत मार्च 2026 तक ₹14,945 करोड़ की बिक्री दर्ज की गई।
 - इससे चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला है।
- **आयात पर निर्भरता में कमी**: भारत के घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है।
 - इसके अंतर्गत सौर फोटोवोल्टिक (Solar PV) विनिर्माण क्षमता को लगभग 8 गीगावाट से बढ़ाकर लगभग 116 गीगावाट तक पहुँचाया गया है।
- **औषधि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता**: बल्क ड्रग्स PLI योजना ने महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक कच्चे माल , औषधि मध्यवर्ती उत्पादों तथा सक्रिय औषधीय अवयवों (APIs) के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया है।
- **उभरते उद्योगों का विकास** : ड्रोन PLI योजना ने भारत के घरेलू ड्रोन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहित किया है।

PLI योजनाओं के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- रोजगार सृजन निर्धारित लक्ष्य का केवल 28% रहा है, जो निवेश एवं उत्पादन के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों की तुलना में काफी कम है।
 - कई क्षेत्रों में अधिक पूँजी-गहनता तथा स्वचालन के कारण निवेश की तुलना में रोजगार सृजन सीमित रहता है।
- निवेश एवं वार्षिक कारोबार से संबंधित पात्रता की उच्च सीमाओं के कारण छोटे उद्यमों की भागीदारी सीमित हुई है। यह समस्या विशेष रूप से वस्त्र क्षेत्र में अधिक देखी गई है।
- उत्पादन में वृद्धि होने मात्र से घरेलू विनिर्माण का गहन विकास सुनिश्चित नहीं होता, विशेषकर तब जब महत्त्वपूर्ण घटकों एवं कच्चे माल का आयात जारी रहता है।
- प्रौद्योगिकी, बाजार की परिपक्वता तथा निवेश चक्रों में अंतर के कारण विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं के परिणाम अलग-अलग रहे हैं।
- विनिर्माण इकाइयों में किया गया निवेश व्यावसायिक उत्पादन एवं रोजगार सृजन में परिवर्तित होने में समय लेता है। यह स्थिति विशेष रूप से उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अधिक देखी जाती है।

आगे की राह

- **डेटा प्रबंधन एवं निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना**: कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों के बीच साझा डेटा रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
 - निवेश, उत्पादन, निर्यात एवं रोजगार की नियमित रूप से उद्यम-स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए।
- **घरेलू उत्पादों की माँग को बढ़ावा देना**: घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों की सार्वजनिक खरीद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
 - घरेलू बाजारों को सुदृढ़ बनाने तथा निर्यात के नए अवसर विकसित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- MSME **क्षेत्र को प्रोत्साहन**: वित्त, प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना तथा गुणवत्ता प्रमाणन तक उद्यमों की पहुँच में सुधार किया जाना चाहिए।
 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार पात्रता संबंधी शर्तों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।

स्रोत: PIB

वैश्विक कार्बन बजट, 2026

संदर्भ

- वैश्विक कार्बन बजट, 2026 के अनुसार, इस वर्ष जीवाश्म ईंधनों से होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन 38.2 अरब टन रहने की संभावना है।

परिचय

- वैश्विक कार्बन बजट एक वार्षिक उत्सर्जन आकलन रिपोर्ट है, जिसे ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है।
- ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, फ्यूचर अर्थ (Future Earth), वैज्ञानिकों के एक सामूहिक संगठन तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अंतर्गत गठित विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम (WCRP) के बीच एक सहयोगात्मक पहल है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र के सभी जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों के दौरान यूनेस्को (UNESCO) द्वारा प्रायोजित किया जाता है।

प्रमुख निष्कर्ष

- इस वर्ष वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में 0.4% की गिरावट आने का अनुमान है। चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान में उत्सर्जन में कमी दर्ज होने की संभावना है।
- **उत्सर्जन में गिरावट के कारण** :
 - **नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार** : सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि से कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम हो रही है।
 - **ऊर्जा संकट** : पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने ऊर्जा बाजारों को प्रभावित किया है तथा जीवाश्म ईंधनों की खपत में कमी लाने में योगदान दिया है।
 - **ऊर्जा मिश्रण में परिवर्तन** : स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अधिक अपनाने तथा ऊर्जा दक्षता में सुधार से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायता मिल रही है।
- वर्ष 2026 में वायुमंडल में CO_2 की सांद्रता 427.7 पार्ट्स प्रति मिलियन (ppm) तक पहुँचने का अनुमान है, जो औद्योगिक-पूर्व स्तरों से 54% अधिक है।
 - भूमि उपयोग में परिवर्तन (जैसे वनों की कटाई) से होने वाले उत्सर्जन में इस वर्ष मामूली वृद्धि होने का अनुमान है।
 - वर्ष 2026 में कुल CO_2 उत्सर्जन 43.3 अरब टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 42.8 अरब टन था।
- शेष कार्बन बजट , अर्थात औद्योगिक-पूर्व स्तरों की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने से पहले उत्सर्जित की जा सकने वाली CO_2 की अधिकतम मात्रा, अब केवल 150 अरब टन रह गई है।
 - इसका अर्थ है कि वर्तमान उत्सर्जन दर के अनुसार, 1.5°C की तापमान सीमा के भीतर रहने के लिए उपलब्ध शेष कार्बन बजट अगले चार वर्षों से भी कम समय में समाप्त हो सकता है।
- भारत के कार्बन उत्सर्जन में 4.4% की वृद्धि होने का अनुमान है। वैश्विक CO_2 उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8% है।

भारत में उत्सर्जन वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

- **विद्युत की बढ़ती माँग** : वर्ष 2026 में अपेक्षाकृत शुष्क मानसून तथा अधिक तापमान के कारण शीतलन, विशेषकर एयर कंडीशनर के उपयोग की माँग में वृद्धि हुई है।
 - इसके परिणामस्वरूप विद्युत की खपत में वृद्धि हुई है।
 - वर्ष 2025 में मानसून-पूर्व अवधि अपेक्षाकृत अधिक वर्षायुक्त रहने के कारण शीतलन की आवश्यकता एवं विद्युत की माँग कम रही थी।
- **जीवाश्म ईंधनों पर निरंतर निर्भरता** : भारत में विद्युत उत्पादन के लिए कोयला अभी भी एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत बना हुआ है।
 - जब विद्युत की बढ़ती माँग की पूर्ति कोयला आधारित विद्युत उत्पादन के माध्यम से की जाती है, तो CO_2 उत्सर्जन में वृद्धि होती है।

- **सड़क परिवहन से उत्सर्जन में वृद्धि** : वाहनों के स्वामित्व में वृद्धि, शहरीकरण तथा सड़क परिवहन की बढ़ती माँग के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि हो रही है।
 - अन्य कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारत में सड़क परिवहन से संबंधित उत्सर्जन में गिरावट दर्ज नहीं की गई है।
- **औद्योगिक एवं आर्थिक विकास** : इस्पात, सीमेंट तथा विनिर्माण जैसे अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों के विस्तार से जीवाश्म ईंधनों की खपत बढ़ रही है।
 - तीव्र आर्थिक विकास एवं आधारभूत संरचना के विस्तार से भी ऊर्जा की माँग में वृद्धि हो रही है।
- **ऊर्जा खपत में वृद्धि** : आय में वृद्धि, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि तथा घरेलू विद्युत उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण ऊर्जा की खपत में वृद्धि हुई है।
 - नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार अभी तक ऊर्जा की कुल माँग में हुई वृद्धि की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं रहा है।

भारत के लिए आगे की राह

- **नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना**: विशेष रूप से सौर एवं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश तथा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण को तीव्र किया जाना चाहिए।
- **कोयले पर निर्भरता कम करना**: स्वच्छ विद्युत उत्पादन तकनीकों तथा ऊर्जा भंडारण समाधानों के माध्यम से कोयले पर निर्भरता कम की जानी चाहिए।
- **इलेक्ट्रिक वाहनों एवं सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन**: इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देना चाहिए तथा सार्वजनिक परिवहन की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- **ऊर्जा दक्षता में सुधार**: उद्योगों, भवनों तथा घरेलू विद्युत उपकरणों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **हरित हाइड्रोजन एवं निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा**: उन क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन तथा अन्य निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जहाँ उत्सर्जन में कमी लाना अपेक्षाकृत कठिन है।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

कुरुम्बा जनजाति

चर्चा में क्यों?

- पीढ़ी-दर-पीढ़ी कुरुम्बा भाषा बोलने वालों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है।

परिचय

- केरलम के कुरुम्बा एक आदिवासी समुदाय हैं, जो पलक्कड़ जिले के अट्टापडी के पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में निवास करते हैं।
- इन्हें स्थानीय रूप से पालु कुरुम्बा कहा जाता है। इन्हें नीलगिरि के आलु कुरुम्बा से अलग पहचानने के लिए इस नाम का प्रयोग किया जाता है।
- ये अट्टापडी के तीन प्रमुख जनजातीय समूहों (इरुला एवं मुदुगा के साथ) में सबसे प्राचीन आदिवासी समुदाय तथा संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा समुदाय हैं।
- भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस समुदाय को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- यह केरलम के पाँच विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में से एक है।
- इस समुदाय के लोग कुरुम्बा भाषा बोलते हैं, जो एक मौखिक भाषा है तथा जिसकी कोई लिपि नहीं है।
- कुरुम्बा भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है तथा मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के जनजातीय समुदायों, विशेषकर केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है।
- कुरुम्बा समुदाय के लोगों को अक्सर अपनी मूल भूमि से काफी दूर रहना पड़ता है, जिसका प्रमुख कारण शिक्षा एवं रोजगार की तलाश है।

स्रोत: TH

छठ पूजा

संदर्भ

- मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर छठ पूजा के गीत बजाए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया।

छठ पूजा क्या है?

- छठ भारत के प्राचीनतम त्योहारों में से एक है, जो सूर्य देव तथा छठी मैया अथवा षष्ठी (सूर्य की बहन) की उपासना को समर्पित है।
- यह पर्व विशेष श्रद्धा एवं भक्ति के साथ बिहार, झारखंड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत एवं विदेशों में रहने वाले प्रवासी समुदाय भी इसे मनाते हैं।
- यह चार दिवसीय पर्व कठोर उपवास तथा अस्ताचलगामी एवं उदय होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने की परंपरा से जुड़ा है।

- अपनी पर्यावरण-अनुकूल परंपराओं के लिए प्रसिद्ध छठ पूजा प्रकृति के प्रति सम्मान, स्वच्छता तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देती है।

छठ पूजा के चार दिन

- **नहाय-खाय** : इस दिन श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं, अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं तथा पर्व के लिए पारंपरिक भोजन तैयार करते हैं।
- **खरना** : इस दिन श्रद्धालु पूरे दिन उपवास रखते हैं तथा शाम को पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलते हैं।
 - इसके बाद लगभग 36 घंटे का कठोर निर्जला उपवास प्रारंभ होता है।
- **संध्या अर्घ्य** : तीसरे दिन श्रद्धालु अस्त होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दौरान वे प्रायः नदियों अथवा तालाबों में खड़े होकर पूजा करते हैं।
 - इस अवसर पर फल, गन्ना तथा ठेकुआ जैसे पारंपरिक प्रसाद तैयार किए जाते हैं।
- **उषा अर्घ्य** : अंतिम दिन श्रद्धालु उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं।
 - इसके साथ ही लगभग 36 घंटे का कठिन उपवास समाप्त होता है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत ने वर्ष 2026–27 चक्र के लिए छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामांकित किया है।

स्रोत: ET

भारत में तपेदिक (TB) से होने वाली मृत्यु दर में गिरावट

संदर्भ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, 2026 के अनुसार, भारत में वर्ष 2015 की तुलना में तपेदिक (TB) से होने वाली मृत्यु दर में 38% की कमी आई है, जबकि वैश्विक औसत कमी 35% रही है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- वर्ष 2025 में अनुमानित 10.6 मिलियन (1.06 करोड़) लोग तपेदिक से संक्रमित हुए, जबकि इस बीमारी के कारण 1.13 मिलियन (11.3 लाख) लोगों की मृत्यु हुई।
- **क्षेत्रीय वितरण** : WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में तपेदिक के नए मामलों का 35% हिस्सा दर्ज किया गया।
 - इसके बाद पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 27% तथा अफ्रीकी क्षेत्र में 25% नए मामले दर्ज किए गए।
- **मामलों का संकेंद्रण** : तपेदिक के लगभग 88% नए मामले 30 उच्च रोग-भार वाले देशों में दर्ज किए गए।
 - वैश्विक तपेदिक मामलों में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25% रही।
 - इसके बाद इंडोनेशिया (10%), फिलीपींस (6.8%), चीन (6.5%) तथा पाकिस्तान (6.4%) का स्थान रहा।
- **उपचार की सफलता दर**: भारत में औषधि-संवेदनशील तपेदिक के रोगियों के बीच उपचार की सफलता दर 94% दर्ज की गई।

तपेदिक क्या है?

- तपेदिक (TB) एक संक्रामक रोग है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है।
- यह रोग संक्रमित व्यक्ति के खाँसने, छींकने अथवा थूकने पर वायु के माध्यम से प्रसारित होता है।
- तपेदिक मुख्य रूप से दो रूपों में पाया जाता है:
- **गुप्त तपेदिक संक्रमण** : इस अवस्था में जीवाणु शरीर में विद्यमान रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली उन्हें नियंत्रित रखती है।
 - इस स्थिति में व्यक्ति में सामान्यतः कोई लक्षण दिखाई नहीं देते तथा वह दूसरों में संक्रमण नहीं फैलाता।
 - हालाँकि, बाद में ये जीवाणु सक्रिय हो सकते हैं और सक्रिय तपेदिक रोग का कारण बन सकते हैं।
- **सक्रिय तपेदिक रोग**: इस अवस्था में जीवाणु सक्रिय होकर शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं।
- इसके प्रमुख लक्षणों में लंबे समय तक खाँसी, सीने में दर्द, वजन कम होना, थकान एवं बुखार शामिल हैं।
- **लक्षण** : लंबे समय तक खाँसी आना (कभी-कभी खाँसी के साथ खून आना)।
 - सीने में दर्द।
 - कमजोरी एवं थकान।
 - वजन में कमी।
 - बुखार।
 - रात में पसीना आना।
 - रोग के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि शरीर के किस हिस्से में तपेदिक सक्रिय हुआ है।

- यद्यपि तपेदिक मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह गुर्दे, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी तथा त्वचा को भी प्रभावित कर सकता है।

- **उपचार** : तपेदिक एक रोकथाम योग्य एवं उपचार योग्य बीमारी है।
 - इसका उपचार एंटीबायोटिक दवाओं के माध्यम से किया जाता है।
 - **तपेदिक का टीका**: बैसिलस कैलमेट-गुएरिन (BCG) टीका वर्तमान में तपेदिक के विरुद्ध एकमात्र लाइसेंस प्राप्त टीका है।
 - यह शिशुओं एवं छोटे बच्चों को तपेदिक के गंभीर रूपों, विशेषकर TB मेनिन्जाइटिस (मस्तिष्कावरण शोथ), से मध्यम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है।

स्रोत: TH

पादप किस्मों एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) का 22वाँ स्थापना दिवस

संदर्भ

- पादप किस्मों एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) का 22वाँ स्थापना दिवस तथा प्लांट जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह हाल ही में आयोजित किया गया।

पादप किस्मों एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA)

- PPV&FRA एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करने तथा किसानों के अधिकारों को मान्यता एवं संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
- इस प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी।
- यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- इसकी स्थापना पादप किस्मों एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPV&FR Act), 2001 के अंतर्गत की गई है।
 - यह अधिनियम विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं पर समझौते (TRIPS Agreement) के अंतर्गत भारत के दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया था।
- **प्रमुख कार्य**:
 - नई, विद्यमान तथा कृषकों द्वारा विकसित पादप किस्मों का पंजीकरण करना।
 - पादप किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखना।
 - किसानों द्वारा विकसित पारंपरिक किस्मों एवं पारंपरिक पादप आनुवंशिक संसाधनों का दस्तावेजीकरण एवं संरक्षण करना।
 - पादप प्रजनकों तथा कृषक समुदायों के बीच लाभ-साझाकरण को सुगम बनाना।
 - पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने वाले किसानों एवं समुदायों को मान्यता तथा पुरस्कार प्रदान करना।
- **पुरस्कार**:
 - **प्लांट जीनोम संरक्षक सामुदायिक पुरस्कार** : यह पुरस्कार पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण एवं सुधार में योगदान देने वाले कृषक समुदायों को प्रदान किया जाता है।
 - **प्लांट जीनोम संरक्षक कृषक पुरस्कार** : यह पुरस्कार पारंपरिक पादप किस्मों के संरक्षण एवं सुधार में योगदान देने वाले व्यक्तिगत किसानों को प्रदान किया जाता है।

पादप किस्मों एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPV&FRA Act), 2001

- **उद्देश्य**: इस अधिनियम का उद्देश्य पादप किस्मों, किसानों के अधिकारों तथा पादप प्रजनकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक प्रभावी व्यवस्था स्थापित करना है।
 - इसके अतिरिक्त, पादपों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है।
 - यह कानून पादप प्रजनन गतिविधियों में वाणिज्यिक पादप प्रजनकों तथा किसानों, दोनों के योगदान को मान्यता प्रदान करता है।
 - साथ ही, यह सभी हितधारकों के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए TRIPS समझौते के प्रावधानों के कार्यान्वयन का भी प्रावधान करता है।
- **महत्त्व**
 - **नवाचार एवं किसानों के पारंपरिक अधिकारों के बीच संतुलन**: यह पादप प्रजनकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों तथा किसानों के पारंपरिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है।
 - **कृषि जैव विविधता का संरक्षण**: यह पारंपरिक पादप किस्मों एवं आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से कृषि जैव विविधता को बढ़ावा देता है।
 - **बीज उद्योग एवं ग्रामीण आजीविका को प्रोत्साहन**: यह किसानों की आजीविका की रक्षा करते हुए बीज उद्योग के विकास एवं विस्तार को प्रोत्साहित करता है।

स्रोत: PIB

भारत में खुदरा मुद्रास्फीति RBI की निर्धारित सीमा से अधिक

संदर्भ

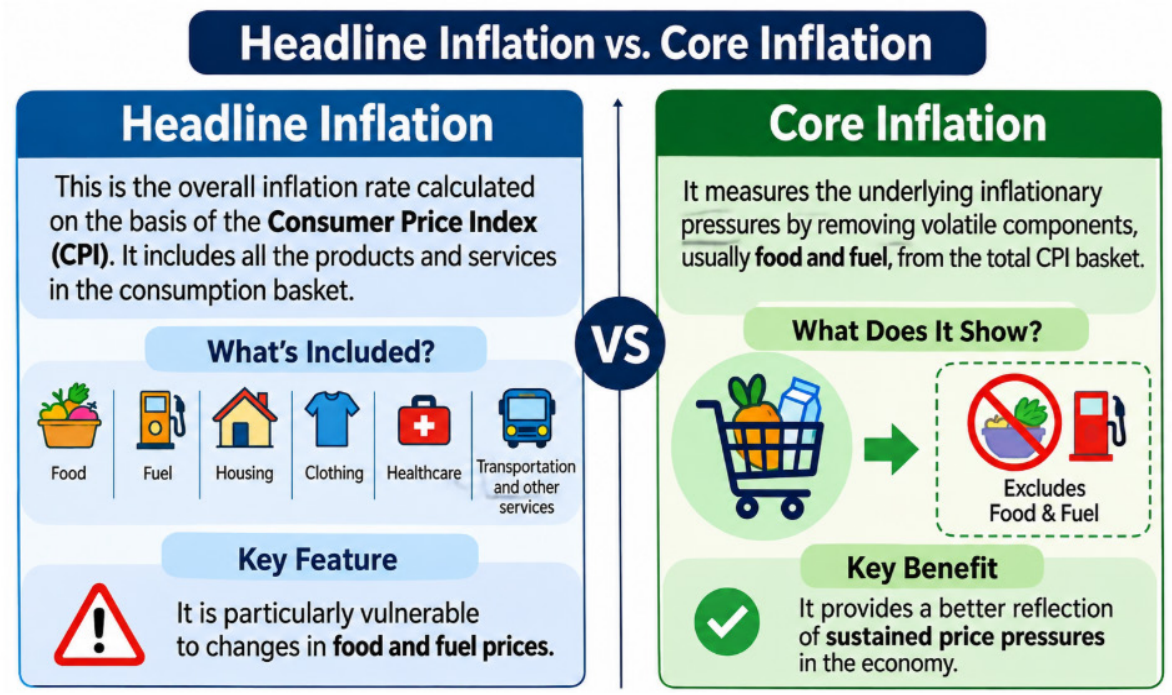
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2026 में बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई, जो विगत दो वर्षों का उच्चतम स्तर है।

परिचय

- RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के अंतर्गत केंद्र सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के सहयोग से मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है।
- अप्रैल 2026 से मार्च 2031 की अवधि के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% निर्धारित किया गया है, जबकि इसकी सहनशीलता सीमा 2–6% है।

खुदरा मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति

- खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 8.94% हो गई, जो पहले 7.74% थी। इसके पीछे आवश्यक खाद्य वस्तुओं और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि प्रमुख कारण रही।
 - अनियमित मौसम, फसलों में होने वाले रोगों तथा पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच वैश्विक जिंसों की बढ़ती कीमतों ने खाद्य कीमतों को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- ग्रामीण मुद्रास्फीति 6.63% तक पहुँच गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 5.41% रही। यह ग्रामीण भारत में अधिक तीव्र मूल्य दबाव को दर्शाता है।
- **प्रमुख योगदानकर्ता**: खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति में वृद्धि के प्रमुख कारण बने रहे।



उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

- CPI समय के साथ परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित बास्केट के औसत खुदरा मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। इसका उपयोग खुदरा मुद्रास्फीति मापने के लिए किया जाता है।
- **जारीकर्ता**: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)।
- **आधार वर्ष**: 2024।

स्रोत: DTE

भारतीय ब्रैम्बल शार्क

समाचारों में

- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) और ICAR-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (ICAR-CMFRI) के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर से गहरे समुद्र में पाई जाने वाली शार्क की एक नई प्रजाति की पहचान की है।

डी-सी शार्क(Deep-sea shark)

- इसे औपचारिक रूप से इकिनोरिनस रोइनी नाम दिया गया है। कई दशकों तक इसकी गलत पहचान अटलांटिक ब्रैम्बल शार्क के रूप में की जाती रही थी।

- इसे सामान्यतः **भारतीय ब्रैम्बल शार्क** के नाम से जाना जाता है।
- यह 350 से 450 मीटर की गहराई पर महाद्वीपीय ढाल के जलक्षेत्रों में निवास करती है और इसकी लंबाई तीन मीटर तक हो सकती है।
- इसका वितरण ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड के जलक्षेत्रों तक विस्तृत हो सकता है।
- इसका शरीर गहरे भूरे से लेकर कालापन लिए हुए रंग का होता है तथा इस पर उभरे हुए काँटों जैसे त्वचीय दंतक पाए जाते हैं। शार्क के परिपक्व होने पर ये दंतक आपस में जुड़कर बहु-नुकीली प्लेटों का रूप ले लेते हैं।
- यह हिंद महासागर की एक विशिष्ट विकासवादी वंशावली का प्रतिनिधित्व करती है, जो आनुवंशिक रूप से अटलांटिक ब्रैम्बल शार्क (इकिनोरिनस ब्रुकस) और प्रशांत प्रिकली शार्क (इकिनोरिनस कुकी) से अलग है।



स्रोत: PIB

रैटलपॉड

समाचारों में

- केरल के इडुक्की जिले में मुन्नार के निकट येल्लापट्टी के घास के मैदान रैटलपॉड (क्रोटेलेरिया रेटुसा) में बड़े पैमाने पर पुष्पन के कारण सुनहरे रंग में बदल गए हैं। इस पौधे को स्थानीय स्तर पर किलुकिलुक्की के नाम से जाना जाता है।

रैटलपॉड के बारे में

- **कुल** : फैबेसी , अर्थात दलहनी/मटर कुल।
- **वंश** : क्रोटालेरिया , जिसमें विश्वभर में 700 से अधिक प्रजातियाँ शामिल हैं।
- **आवास** : यह उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों, वनों के किनारों, नदी तटों और अशांत मृदा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है।
- **वितरण** : पश्चिमी घाट में क्रोटालेरिया की 87 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 31 प्रायद्वीपीय भारत की स्थानिक (Endemic) प्रजातियाँ हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

- **पुष्प** : इसके फूल चमकीले सुनहरे-पीले रंग के होते हैं, जो मटर के फूलों जैसे दिखाई देते हैं और इन पर लालिमा लिए हुए धारियाँ होती हैं।
- **नाइट्रोजन स्थिरीकरण** : इसकी जड़ों में उपस्थित ग्रंथियाँ वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायता करती हैं तथा मृदा की उर्वरता बढ़ाती हैं।
- **विषाक्तता** : इसमें विशेष रूप से बीजों में पाइरोलिज़िडीन एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जो पशुधन और कुक्कुट पक्षियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

पारिस्थितिक महत्त्व

- यह ब्लू टाइगर्स, स्ट्राइप्ड टाइगर्स और कॉमन क्रोज़ जैसी तितली प्रजातियों को सहारा देता है। ये तितलियाँ रासायनिक रक्षा और फेरोमोन उत्पादन के लिए पौधे के एल्कलॉइड का उपयोग करती हैं।
- यह एक अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करता है और मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सहायता करता है।

स्रोत: TH

■■■